



स्कूली बच्चों से भरी बस हाईटेशन लाइन में फंसी

बस में 50 बच्चे सवार थे, गनीमत रही बिजली सप्लाई बंद थी, बड़ा हादसा टला



... नहीं तो हो सकता था बड़ा हादसा

बस चालक का कहना है कि जब वह बस को गेट से स्कूल के अंदर लेकर गया तो उस समय लाइन फंसने जैसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन लौटते समय को ऊंचा करके बस को निकाला गया।

गनीमत रही कि उस समय शायद बिजली गुल थी और तारों में करंट प्रवाहित नहीं हो रहा था। फंसे हुए तारों को बस के हेलपर द्वारा ऊंची करके निकाला गया, वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि कई बार बिजली अधिकारियों को इस संबंध में आवेदन भेजे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उन

पर कोई विचार नहीं होने से स्थिति जैसी की तैसी बनी हुई है। स्कूल के पालक-शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि अब स्कूल प्रबंधन एवं सभी अभिभावकों द्वारा कलेक्टर एवं बिजली कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से आग्रह किया गया है कि बिजली कंपनी को

निर्देशित करके विद्युत लाइन को यहां से ऊंची कराई जाए, ताकि स्टूडेंट सुरक्षित रह सकें।

प्राचार्या सिस्टर मरीना ने बताया कि स्कूल की बाउंड्री पर पहले यूकेलिप्टस (नीलगिरी) के पेड़ लगे हुए थे, लेकिन उन पेड़ों से तार टकर होने से कभी-कभी करंट आने लगा था तो सभी पेड़ कटवा दिए थे और विद्युत लाइन को ऊंची करने के लिए आवेदन दिया था। फिर भी बिजली कंपनी ने बिजली लाइन को ऊंचा नहीं किया, लटकती हुई केबल जो बहुत नीचे आ गई है, जो आज भी खतरा बनी हुई है।

इनका कहना है...

शिकायत आपके द्वारा अभी मिली है, गंभीर मामला है। इसलिए 24 घंटे के अंदर व्यवस्था करने के निर्देश विद्युतकर्मियों को दिए गए हैं। यह काम तत्काल कराया जा रहा है।

- पराग धड़बड़े, कार्यपालन यंत्री मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी



रायसेन को आदर्श जिला बनाने के दिशा में काम करें

दिशा की बैठक में बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह

नवभारत न्यूज रायसेन, 26 जुलाई. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंचायत सीईओ अंजू भदोरिया भी मोजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने नशा मुक्ति अभियान के तहत बनाई गई योजना में कोई भी पात्र नागरिक ना किये और मौजूद सभी लोगों से नशे के खिलाफ शपथ दिलाई। बैठक की शुरुआत करते हुए केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा आज की बैठक की शुरुआत अच्छी हो रही है काम करें हर संभव प्रयास कल होना चाहिए। बैठक में स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र पटेल, होशंगाबाद सांसद दर्शन चौधरी, विधायक प्रभुराम चौधरी, सुरेंद्र पटवा, जिला पंचायत यशवंत

मोना भी शामिल हुए। रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा, एसपी पंकज पांडे और जिला पंचायत सीईओ अंजू भदोरिया भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने नशा मुक्ति अभियान के तहत बनाई गई योजना में कोई भी पात्र नागरिक ना किये और मौजूद सभी लोगों से नशे के खिलाफ शपथ दिलाई। बैठक की शुरुआत करते हुए केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा आज की बैठक की शुरुआत अच्छी हो रही है काम करें हर संभव प्रयास कल होना चाहिए। बैठक में स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र पटेल, होशंगाबाद सांसद दर्शन चौधरी, विधायक प्रभुराम चौधरी, सुरेंद्र पटवा, जिला पंचायत यशवंत

तीन साल से फरार वारंटी विदिशा से गिरफ्तार

एक्ससीडेंट के मामले में फरार था आरोपी, रायसेन न्यायालय में किया पेश

नवभारत न्यूज सलामतपुर, 26 जुलाई. थाना पुलिस को एक ऐसे फरार स्थाई वारंटी को पकड़ने में सफलता मिली है जो 3 साल से एक्ससीडेंट के मामले में फरार चल रहा था। फरार स्थाई वारंटी को विदिशा से मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर गिरफ्तार करने में सलामतपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सलामतपुर थाना प्रभारी दिनेश रघुवंशी ने बताया कि रायसेन एस्पपी पंकज पांडे के दिशा निर्देशन में फरार वारंटियों को पकड़ने का अभियान जोरों पर चल रहा है। इसी कड़ी में 2022 तीन साल से मारपीट के मामले में फरार स्थाई वारंटी रजनीश विश्वकर्मा पिता गणेशराम विश्वकर्मा उम्र 26 वर्ष निवासी आरएमपी नगर टीलाखेड़ी विदिशा



की मुखबिर से सूचना मिली कि वह विदिशा आया हुआ है। तत्काल थाने से प्रधान आरक्षक हेत सिंह मीणा और आरक्षक रोहित गोस्वामी को वारंटी को पकड़ने के लिए विदिशा भेजा गया। फरार वारंटी रजनीश को पुलिस के आने की भनक लग गई, वो भागने की ही फिराक में था। लेकिन पुलिस ने समय रहते उसे घेराबंदी कर पकड़ने में सफलता हासिल कर ली। शनिवार के दिन रजनीश को

रायसेन न्यायालय में पेश किया गया है। थाना प्रभारी दिनेश सिंह रघुवंशी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक रायसेन पंकज कुमार पाण्डेय के निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपुरे के मार्गदर्शन में स्थाई फरार वारंटियों की धरपकड़ और गुंडा, बदमाश सहित अपराधिक लोगों की निगरानी हेतु रात्रि यात्रा की जा रही है।

इनका कहना है...

लगभग 3 साल से एक्ससीडेंट के मामले में फरार स्थाई वारंटी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशन में फरार वारंटियों की धरपकड़ करने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। जो आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

दिनेश सिंह रघुवंशी, थाना प्रभारी सलामतपुर



बारना डेम लबालब छह गेट खोले

रायसेन, 26 जुलाई. शुक्रवार रात से हो रही बारिश के कारण शनिवार को सुबह 6 बजे बारना डेम के 6 गेट खोलने पड़े। जिससे 22800 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने बरेली की निचली बस्तियों को अलर्ट जारी कर दिया है और जलभराव से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि इस मानसून सीजन में दूसरी बार बारना बांध के गेट खोले गए हैं इस पहले 24 जुलाई को देर रात चार गेट खोले गए थे।

रोड पर जाम, कीचड़ और स्कूली बच्चों का प्रदर्शन

सड़क पर ट्रैक्टर ट्रालियों, कीचड़ से बच्चे नहीं जा पा रहे स्कूल

नवभारत न्यूज देवरी (रायसेन), 26 जुलाई. ग्राम रमपुरा रिछवार रोड पर बने वेयरहाउस में समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी जारी है। इसी कारण सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर-ट्रालियों की कतारें लगी हुई हैं, जिससे सड़क पूरी तरह से जाम हो चुकी है। ट्रैफिक जाम और दोनों तरफ फैले कीचड़ ने आम जनजीवन को मुश्किल में डाल दिया है। इस रास्ते से होकर स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। सड़क, कीचड़ और ट्रैक्टर ट्रालियों से पूरी तरह बंद हो जाती है, जिससे छात्र-छात्राई स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। इससे परेशान गांव के बच्चों ने शनिवार को सड़क पर प्रदर्शन किया। बच्चों ने हाथों में तख्तियां



वेयरहाउस में ट्रैक्टरों ट्रालियों की कतार लगने से रास्ता जाम हुआ है और साइड में कीचड़ है हमने नगर परिषद को आदिशित किया है कि इस राई पर मुरस और बोल्टर डलवाए जाएं, ताकि फोर व्हीलर गाड़ियों का आवागमन हो सके और स्कूल के बच्चे भी स्कूल जा सकें, संभवतः सोमवार तक रोड विलयर हो जाएगा।

- संतोष मुद्गल, एसडीएम

हमने मुरम और बोल्टर डालने का कार्य तीव्र गति से कर दिया है। हमारा पूरा स्टाफमय इंजीनियर के रोड पर काम करवा रहा है।

लेकर प्रशासन से रास्ता साफ कराने और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। ग्रामीणों का

कहना है कि वेयरहाउस की खरीदी व्यवस्था का संचालन अव्यवस्थित है।



भूखे व्यक्ति को दरवाजे से न लौटाएं: साक्ष्य सागर

मुनि निवृत्त सागर ने कहा- पुण्य की महिमा अपरंपार

नवभारत न्यूज सिलवानी, 26 जुलाई. जीव व्यवहार धर्म को तिलाजलि देकर निज आत्म की शरण को अंगीकार करना चाहिए यही धर्म ही शरण भूत हैं। भगवान के समवशरण का व्यापक स्तर पर प्रभाव होता है कि दुश्मन भी शत्रुता छोड़ कर सच्चे मित्र बन जाते हैं। यह उदार मुनि साक्ष्य सागर महाराज ने शनिवार को सुबह के समय समाजजनों के बीच व्यक्त किया। उन्होंने पारनास्था जिनालय में आयोजित प्रवचनो की कड़ी में सच्चे सम्यक दृष्टि जीव की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए बताया कि सच्चा सम्यक दृष्टि जीव मुनिराज को आहार करने के बाद ही कुछ भोजन ग्रहण करता है इसके पहले वह अल्प से अल्प भी भोजन ग्रहण नहीं करता है बल्कि वह भोजन की तरफ देखता भी नहीं है। उन्होंने बताया कि अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की वाणी जीव के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। आहार दान व धर्म के फल की व्याख्या करते हुए उन्होंने

बाइक में दूसरी बाइक ने मारी टक्कर, एक की मौत दूसरे घायल की हालत भी गंभीर, बौद्ध यूनिवर्सिटी के सामने हादसा

नवभारत न्यूज सलामतपुर, 26 जुलाई. शुक्रवार रात के समय सलामतपुर हाट बाजार से सब्जी लेकर मोटरसाइकिल से रतनपुर गांव लौट रहे पिता पुत्र की मोटरसाइकिल में सामने से दूसरी मोटरसाइकिल चालक ने टक्कर मार दी। जिसकी वजह से एक व्यक्ति की भोपाल के पीपुल्स अस्पताल में मौत हो गई और टक्कर मारने वाला युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसका उपचार विदिशा के अस्पताल में चल रहा है। हादसा सलामतपुर में सांची बौद्ध यूनिवर्सिटी के सामने हुआ है। जानकारी अनुसार शुक्रवार रात को रतनपुर गांव निवासी



हजारीलाल मैथिल पिता भंवर मैथिल अपने बेटे यश मैथिल के साथ मोटरसाइकिल से सलामतपुर हाट बाजार में सब्जी लेने आए थे। सब्जी लेकर वापस जाते समय सांची बौद्ध यूनिवर्सिटी के सामने विदिशा की तरफ से तेज व लापरवाही से मोटरसाइकिल चला रहे सुनील निवासी भौई

आदर्श जीवन चरित्र को बना देता निर्मल: पं. शर्मा

नवभारत न्यूज बाड़ी, 26 जुलाई. शनिवार को श्रीमद् भगवत कथा के द्वितीय दिवस पर शनिवार को भक्तों को कथा श्रवण कराते हुए पं. महेश प्रसाद शर्मा ने कहा कि कर्म ही प्रधान है जैसा हम करते हैं उसका हमें वैसा ही फल और आनंद मिलता है भगवान श्री कृष्ण के आदर्श चरित्र से हमें जीवन की शिक्षा मिलती है। श्री कृष्ण का व्यवहार सुदामा के प्रति उनका विशाल प्रेम कभी दिखने नहीं। न्याय की पक्ष में हमेशा अपने सुंदर विचारों को प्रकट करना चाहिए अन्याय का विरोध करने की शिक्षा भगवान श्री कृष्ण के आदर्श से मिलती है। राजा से लेकर ग्वाला तक भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव और व्यवहार एक जैसा ही रहा वह अपने ग्वाल बाल अपने सखियों से अदृष्ट प्रेम करते थे उनका प्रेम विशाल था। कथा व्यास पं. शर्मा ने द्वितीय दिवस कथा कि पद छोटा हो या बड़ा अहंकार जीवन में नहीं आना चाहिए अहंकार व्यक्ति के सुंदर चरित्र को दूषित कर देता है। अहंकार व्यक्ति के पाठन का कारण है अहंकार शब्द से ही दूर रहना चाहिए।



उन्होंने कहा प्रेम एक वह ज्योति है, जिससे व्यक्ति खुद जगमग होता है और आस पड़ोस में भी रोशनी से जगमग कर देता है। उन्होंने प्रेम की शिक्षा हमें सुदामा कृष्ण प्रेम से मिलती है। बड़ों के प्रति हमेशा ही आदर्श भाव अपने जीवन में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि नियम व्यक्ति को अनेक संकटों से मुक्ति दिला देते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में एक नियम बनाकर रखना चाहिए जिससे वह अपने जीवन को सफल बना सके। आरती की बाद महाप्रसादी का आयोजन किया गया।

न्यायालय तहसीलदार बांदरी तहसील बांदरी जिला सागर म.प्र.	न्यायालय तहसीलदार तहसील मालथौन जिला-सागर (म.प्र.)	न्यायालय तहसीलदार तहसील मालथौन जिला-सागर (म.प्र.)	न्यायालय तहसीलदार तहसील मालथौन जिला-सागर (म.प्र.)	न्यायालय तहसीलदार तहसील मालथौन जिला-सागर (म.प्र.)
क्रमांक/452/प्रवा. तह. 2025 बांदरी दिनांक-15.07.2025 सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम बंगेला तहसील बांदरी जिला सागर की शासकीय नजूल भूमि सर्वे नं. 510 रकबा 1.59 हे. में से 0.04 हे. भूमि OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER PHE DEPARTMENT KHURAI पता OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER को भूमि आवंटन हेतु आवेदन हेतु आवंटित किये जाने का आवेदन विचारार्थ लिया गया है। उक्त आवंटन में जिस किसी को कोई आपत्ति हो तो वह इस इशतहार जारी होने के दिनांक से प्रकरण में नियत आगामी (कम से कम 15 दिवस उपरान्त) दिनांक 30.07.2025 के पूर्व अथवा उक्त दिनांक को अपनी आपत्ति आनलाईन अथवा लिखित रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि पश्चात प्रस्तुत आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। आज दिनांक 15/07/2025 को मेरे हस्ताक्षर पद मुद्रा से जारी किया गया है।	इशतहार जरिये इशतहार आम जनता को सूचित किया जाता है, कि कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड खुरई म.प्र. के पत्र क्र./461/तक/ का.यं./ लोक स्वास्थ्य/ खंड खुरई दिनांक 21/02/2025 के द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है कि मालथौन समूह जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन म.प्र. जल निगम मर्यादित द्वारा किया जाना है। योजनांतर्गत उच्चस्तरीय टंकी निर्माण हेतु मालथौन तहसील के ग्राम रामछायरी की भूमि खसरा नं. 117 रकबा 0.04 हे. चिन्हित भूमि आवंटन हेतु प्रतिवेदन भेजने हेतु प्राप्त हुआ है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो वह इस इशतहार प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर स्वयं अथवा अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, समयावधि व्यतीत हो जाने के पश्चात किसी भी आपत्तिकर्ता को आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी। इशतहार आज दिनांक 15/7/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।	इशतहार जरिये इशतहार आम जनता को सूचित किया जाता है, कि कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड खुरई म.प्र. के पत्र क्र./467/तक/ का.यं./ लोक स्वास्थ्य/ खंड खुरई दिनांक 21/02/2025 के द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है कि मालथौन समूह जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन म.प्र. जल निगम मर्यादित द्वारा किया जाना है। योजनांतर्गत उच्चस्तरीय टंकी निर्माण हेतु मालथौन तहसील के ग्राम देवपुरा की भूमि खसरा नं. 281 रकबा 0.04 हे. चिन्हित भूमि आवंटन हेतु प्रतिवेदन भेजने हेतु प्राप्त हुआ है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो वह इस इशतहार प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर स्वयं अथवा अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, समयावधि व्यतीत हो जाने के पश्चात किसी भी आपत्तिकर्ता को आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी। इशतहार आज दिनांक 15/7/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।	इशतहार जरिये इशतहार आम जनता को सूचित किया जाता है, कि कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड खुरई म.प्र. के पत्र क्र./471/तक/ का.यं./ लोक स्वास्थ्य/ खंड खुरई दिनांक 21/02/2025 के द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है कि मालथौन समूह जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन म.प्र. जल निगम मर्यादित द्वारा किया जाना है। योजनांतर्गत उच्चस्तरीय टंकी निर्माण हेतु मालथौन तहसील के ग्राम हिरनछिया की भूमि खसरा नं. 368 रकबा 0.04 हे. चिन्हित भूमि आवंटन हेतु प्रतिवेदन भेजने हेतु प्राप्त हुआ है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो वह इस इशतहार प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर स्वयं अथवा अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, समयावधि व्यतीत हो जाने के पश्चात किसी भी आपत्तिकर्ता को आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी। इशतहार आज दिनांक 15/7/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।	इशतहार जरिये इशतहार आम जनता को सूचित किया जाता है, कि कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड खुरई म.प्र. के पत्र क्र./465/तक/ का.यं./ लोक स्वास्थ्य/ खंड खुरई दिनांक 21/02/2025 के द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है कि मालथौन समूह जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन म.प्र. जल निगम मर्यादित द्वारा किया जाना है। योजनांतर्गत उच्चस्तरीय टंकी निर्माण हेतु मालथौन तहसील के ग्राम लोहार की भूमि खसरा नं. 409 रकबा 0.04 हे. चिन्हित भूमि आवंटन हेतु प्रतिवेदन भेजने हेतु प्राप्त हुआ है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो वह इस इशतहार प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर स्वयं अथवा अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, समयावधि व्यतीत हो जाने के पश्चात किसी भी आपत्तिकर्ता को आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी। इशतहार आज दिनांक 15/7/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।
नियत दिनांक 30/07/2025	नियत दिनांक 30/07/2025	नियत दिनांक 30/07/2025	नियत दिनांक 30/07/2025	नियत दिनांक 30/07/2025
तहसीलदार तहसील बांदरी जिला सागर	तहसीलदार तहसील मालथौन	तहसीलदार तहसील मालथौन	तहसीलदार तहसील मालथौन	तहसीलदार तहसील मालथौन

न्यायालय तहसीलदार तहसील मालथौन जिला-सागर (म.प्र.)	न्यायालय तहसीलदार तहसील मालथौन जिला-सागर (म.प्र.)	न्यायालय तहसीलदार तहसील मालथौन जिला-सागर (म.प्र.)	न्यायालय तहसीलदार तहसील मालथौन जिला-सागर (म.प्र.)
इशतहार जरिये इशतहार आम जनता को सूचित किया जाता है, कि कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड खुरई म.प्र. के पत्र क्र./461/तक/ का.यं./ लोक स्वास्थ्य/ खंड खुरई दिनांक 21/02/2025 के द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है कि मालथौन समूह जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन म.प्र. जल निगम मर्यादित द्वारा किया जाना है। योजनांतर्गत उच्चस्तरीय टंकी निर्माण हेतु मालथौन तहसील के ग्राम रामछायरी की भूमि खसरा नं. 117 रकबा 0.04 हे. चिन्हित भूमि आवंटन हेतु प्रतिवेदन भेजने हेतु प्राप्त हुआ है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो वह इस इशतहार प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर स्वयं अथवा अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, समयावधि व्यतीत हो जाने के पश्चात किसी भी आपत्तिकर्ता को आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी। इशतहार आज दिनांक 15/7/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।	इशतहार जरिये इशतहार आम जनता को सूचित किया जाता है, कि कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड खुरई म.प्र. के पत्र क्र./467/तक/ का.यं./ लोक स्वास्थ्य/ खंड खुरई दिनांक 21/02/2025 के द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है कि मालथौन समूह जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन म.प्र. जल निगम मर्यादित द्वारा किया जाना है। योजनांतर्गत उच्चस्तरीय टंकी निर्माण हेतु मालथौन तहसील के ग्राम देवपुरा की भूमि खसरा नं. 281 रकबा 0.04 हे. चिन्हित भूमि आवंटन हेतु प्रतिवेदन भेजने हेतु प्राप्त हुआ है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो वह इस इशतहार प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर स्वयं अथवा अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, समयावधि व्यतीत हो जाने के पश्चात किसी भी आपत्तिकर्ता को आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी। इशतहार आज दिनांक 15/7/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।	इशतहार जरिये इशतहार आम जनता को सूचित किया जाता है, कि कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड खुरई म.प्र. के पत्र क्र./471/तक/ का.यं./ लोक स्वास्थ्य/ खंड खुरई दिनांक 21/02/2025 के द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है कि मालथौन समूह जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन म.प्र. जल निगम मर्यादित द्वारा किया जाना है। योजनांतर्गत उच्चस्तरीय टंकी निर्माण हेतु मालथौन तहसील के ग्राम हिरनछिया की भूमि खसरा नं. 368 रकबा 0.04 हे. चिन्हित भूमि आवंटन हेतु प्रतिवेदन भेजने हेतु प्राप्त हुआ है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो वह इस इशतहार प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर स्वयं अथवा अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, समयावधि व्यतीत हो जाने के पश्चात किसी भी आपत्तिकर्ता को आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी। इशतहार आज दिनांक 15/7/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।	इशतहार जरिये इशतहार आम जनता को सूचित किया जाता है, कि कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड खुरई म.प्र. के पत्र क्र./465/तक/ का.यं./ लोक स्वास्थ्य/ खंड खुरई दिनांक 21/02/2025 के द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है कि मालथौन समूह जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन म.प्र. जल निगम मर्यादित द्वारा किया जाना है। योजनांतर्गत उच्चस्तरीय टंकी निर्माण हेतु मालथौन तहसील के ग्राम लोहार की भूमि खसरा नं. 409 रकबा 0.04 हे. चिन्हित भूमि आवंटन हेतु प्रतिवेदन भेजने हेतु प्राप्त हुआ है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो वह इस इशतहार प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर स्वयं अथवा अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, समयावधि व्यतीत हो जाने के पश्चात किसी भी आपत्तिकर्ता को आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी। इशतहार आज दिनांक 15/7/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।
नियत दिनांक 30/07/2025	नियत दिनांक 30/07/2025	नियत दिनांक 30/07/2025	नियत दिनांक 30/07/2025
तहसीलदार तहसील मालथौन	तहसीलदार तहसील मालथौन	तहसीलदार तहसील मालथौन	तहसीलदार तहसील मालथौन

न्यायालय तहसीलदार तहसील मालथौन जिला-सागर (म.प्र.)	न्यायालय तहसीलदार तहसील मालथौन जिला-सागर (म.प्र.)	न्यायालय तहसीलदार तहसील मालथौन जिला-सागर (म.प्र.)	न्यायालय तहसीलदार तहसील मालथौन जिला-सागर (म.प्र.)
इशतहार जरिये इशतहार आम जनता को सूचित किया जाता है, कि कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड खुरई म.प्र. के पत्र क्र./461/तक/ का.यं./ लोक स्वास्थ्य/ खंड खुरई दिनांक 21/02/2025 के द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है कि मालथौन समूह जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन म.प्र. जल निगम मर्यादित द्वारा किया जाना है। योजनांतर्गत उच्चस्तरीय टंकी निर्माण हेतु मालथौन तहसील के ग्राम रामछायरी की भूमि खसरा नं. 117 रकबा 0.04 हे. चिन्हित भूमि आवंटन हेतु प्रतिवेदन भेजने हेतु प्राप्त हुआ है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो वह इस इशतहार प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर स्वयं अथवा अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, समयावधि व्यतीत हो जाने के पश्चात किसी भी आपत्तिकर्ता को आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी। इशतहार आज दिनांक 15/7/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।	इशतहार जरिये इशतहार आम जनता को सूचित किया जाता है, कि कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड खुरई म.प्र. के पत्र क्र./467/तक/ का.यं./ लोक स्वास्थ्य/ खंड खुरई दिनांक 21/02/2025 के द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है कि मालथौन समूह जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन म.प्र. जल निगम मर्यादित द्वारा किया जाना है। योजनांतर्गत उच्चस्तरीय टंकी निर्माण हेतु मालथौन तहसील के ग्राम देवपुरा की भूमि खसरा नं. 281 रकबा 0.04 हे. चिन्हित भूमि आवंटन हेतु प्रतिवेदन भेजने हेतु प्राप्त हुआ है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो वह इस इशतहार प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर स्वयं अथवा अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, समयावधि व्यतीत हो जाने के पश्चात किसी भी आपत्तिकर्ता को आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी। इशतहार आज दिनांक 15/7/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।	इशतहार जरिये इशतहार आम जनता को सूचित किया जाता है, कि कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड खुरई म.प्र. के पत्र क्र./471/तक/ का.यं./ लोक स्वास्थ्य/ खंड खुरई दिनांक 21/02/2025 के द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है कि मालथौन समूह जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन म.प्र. जल निगम मर्यादित द्वारा किया जाना है। योजनांतर्गत उच्चस्तरीय टंकी निर्माण हेतु मालथौन तहसील के ग्राम हिरनछिया की भूमि खसरा नं. 368 रकबा 0.04 हे. चिन्हित भूमि आवंटन हेतु प्रतिवेदन भेजने हेतु प्राप्त हुआ है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो वह इस इशतहार प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर स्वयं अथवा अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, समयावधि व्यतीत हो जाने के पश्चात किसी भी आपत्तिकर्ता को आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी। इशतहार आज दिनांक 15/7/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।	इशतहार जरिये इशतहार आम जनता को सूचित किया जाता है, कि कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड खुरई म.प्र. के पत्र क्र./465/तक/ का.यं./ लोक स्वास्थ्य/ खंड खुरई दिनांक 21/02/2025 के द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है कि मालथौन समूह जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन म.प्र. जल निगम मर्यादित द्वारा किया जाना है। योजनांतर्गत उच्चस्तरीय टंकी निर्माण हेतु मालथौन तहसील के ग्राम लोहार की भूमि खसरा नं. 409 रकबा 0.04 हे. चिन्हित भूमि आवंटन हेतु प्रतिवेदन भेजने हेतु प्राप्त हुआ है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो वह इस इशतहार प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर स्वयं अथवा अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, समयावधि व्यतीत हो जाने के पश्चात किसी भी आपत्तिकर्ता को आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी। इशतहार आज दिनांक 15/7/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।
नियत दिनांक 30/07/2025	नियत दिनांक 30/07/2025	नियत दिनांक 30/07/2025	नियत दिनांक 30/07/2025
तहसीलदार तहसील मालथौन	तहसीलदार तहसील मालथौन	तहसीलदार तहसील मालथौन	तहसीलदार तहसील मालथौन

न्यायालय तहसीलदार तहसील मालथौन जिला-सागर (म.प्र.)	न्यायालय तहसीलदार तहसील मालथौन जिला-सागर (म.प्र.)
---	---